"Knowledge Scholar"
An International Peer Reviewed E-Journal Of Multidisciplinary Research
Volume: 10, Issue: 01, Jan. – Feb. 2023 eISSN NO. 2394-5362
Impact Factor (SJIF) – 6.323

राजस्थान में महिला सशक्तीकरण हेतु शिक्षा सम्बन्धी चुनौतियाँ

कैलाश चन्द यादव

शोधार्थी

राजस्थान, भारत.

सम्पूर्ण मानव जाति को अमरबेल की तरह पल्लवित करने वाली महिलाएँ समग्र विश्व का आधा भाग हैं। जिनके बिना संसार की कल्पना नहीं की जा सकती। प्राचीन भारत में महिलाओं को महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। वैदिक काल में समाज में कन्या को भी पुत्र के समान स्नेह, आदर एवं सुविधाएँ दी जाती थीं। पर्दा प्रथा एवं बाल विवाह जैसी कुरीतियाँ नहीं थी। शिक्षा के क्षेत्र में पुत्र तथा पुत्रियों के बीच कोई भेद नहीं था। कन्याएँ निर्मुक्त होकर युवकों के साथ अध्ययन करती थीं।[1] इस युग में गार्गी, मैत्रेयी, लोपामुद्रा, घोपा, सूर्या, अपाला, देवयानी आदि आदर्श एवं विदुषी महिलाएँ थीं।[2]

प्राचीन भारत में महिलाओं को *'देवी'* की उपाधि से सम्मानित किया गया था वहीं आज 21वीं शताब्दी में भारतीय समाज में व्यवहार के धरातल पर महिलाओं को समानता के अधिकार के लिए भी जद्दोजहद करनी पड़ रही है, हालांकि संविधान द्वारा सभी महिला–पुरुष को समान अधिकार दिये गये हैं।

वर्तमान में भारत में जनगणना 2011 के अनुसार महिला साक्षरता का प्रतिशत 64.6 है तथा राजस्थान में यह दर केवल 52.12 प्रतिशत है।

सारणी संख्या 0.1

राजस्थान में साक्षरता दर[3] 1951–2011

वर्ष	कुल साक्षरता	पुरुष साक्षरता	महिला साक्षरता	अंतर
1951	8.50	13.88	2.66	11.12
1961	18.12	28.08	7.01	21.07
1971	22.57	33.87	10.06	23.81
1981	30.11	44.77	14.00	30.77
1991	38.55	54.99	20.44	34.55
2001	60.04	75.70	43.09	31.79
2011	66.1	79.02	52.12	26.90

स्रोतः सांख्यिकी विभाग, राजस्थान सरकार (2011)

उपर्युक्त सारणी से ज्ञात होता है कि वर्तमान 21वीं सदी में राजस्थान की आधी आबादी शिक्षा से वंचित है। इसलिए आज राजस्थान भारत में पिछड़े राज्यों की श्रेणी में है। प्रदेश की महिलाएँ दोयम दर्जे की मार झेल रही हैं। चाहे किसी भी क्षेत्र की महिलाएँ हों साक्षरता उनके जीवन के संतुलित विकास के लिए आवश्यक हैं। शिक्षा मानव जीवन का आधार है। शिक्षा के आधार पर व्यक्ति में ज्ञान, कौशल, क्षमता एवं योग्यता विकसित होती है। इसके साथ–साथ शिक्षा के माध्यम से समाज में व्यापक एवं सूक्ष्म आर्थिक परिवर्तन सुगमता से हो जाते हैं।[4]

महिलाओं को समाज में समान अधिकार प्रदान करने एवं उनके बारे में जागरूक करने की प्रक्रिया ही महिला सशक्तीकरण है। शिक्षा एवं सशक्तीकरण एक–दूसरे से घनिष्ठतम रूप से अन्तर्सम्बन्धित है। शिक्षित महिला आत्मनिर्भर एवं आत्मविश्वासी बन जाती है। वह शोषण एवं अत्याचार का विरोध करना सीख जाती है। उसकी अर्न्तदृष्टि विकसित हो जाती है। सामाजिक समानता हेतु, राजनीतिक समानता हेतु, देश के आर्थिक विकास हेतु, अपने बच्चों की उचित परवरिश एवं अपने मानवीय व्यक्तित्व की प्राप्ति हेतु समुचित भागीदारी एवं कार्यवाही की अपेक्षा एक शिक्षित महिला से की जा सकती है। देश एवं प्रदेश में अनेक महिलाएँ शिक्षा प्राप्त कर विभिन्न चुनौतियों को झेलते हुए तथा कटाक्षों को सहते हुए आर्थिक

स्वावलंबन की ओर अग्रसर है। 86वें संवैधानिक संशोधन 2002 के द्वारा संविधान में अनुच्छेद 21क (शिक्षा का अधिकार) जोड़ा गया है। जिसके अन्तर्गत "राज्य 6 से 14 वर्ष तक की आयु के सभी बालकों को विधि द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा।[5] फिर भी राजस्थान में महिला साक्षरता दर अत्यन्त कम है तथा महिला सशक्तीकरण में शिक्षा सम्बन्धी अनेक चुनौतियाँ है जिनमें प्रमुख चुनौतियाँ निम्नलिखित हैं–

बाल विवाह–2016 के चौथे राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के निष्कर्ष के अनुसार बिहार में 39 प्रतिशत, आन्ध्र प्रदेश में 32.6 प्रतिशत, गुजरात में 24.9 प्रतिशत, मध्य प्रदेश में 30 प्रतिशत, राजस्थान में 35.4 प्रतिशत, पं. बंगाल में 40.7 प्रतिशत और समग्र भारत में 26.8 प्रतिशत विवाह बाल विवाह होते हैं।[6]

राजस्थान राज्य में अक्षया तृतीया के विवाह–उत्सव पर हजारों नाबालिग विवाह सम्पन्न होते हैं। बाल विवाह का सीधा सम्बन्ध बालिका शिक्षा प्राप्ति में रूकावट बन जाता है। बाल विवाह मानव अधिकार का उल्लंघन है इससे जीवन और समाज को बेहतर बनाने वाली बहुत सारी सम्भावनाएँ और उम्मीदें समाप्त हो जाती हैं। राज्य में बाल–विवाह के कई कारण हैं जैसे लड़की की शादी को माता–पिता द्वारा अपने ऊपर एक बोझ समझना, माता–पिता में शिक्षा का अभाव, रूढ़िवादिता, अन्धविश्वास तथा निम्न आर्थिक पारिवारिक स्थिति आदि। बाल विवाह के परिणमास्वरूप शारीरिक व मानसिक विकास पूर्ण नहीं हो पाता। शिशु व मातृ मृत्युदर में वृद्धि होती है।[7] बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के प्रभावी होने के बाद भी राज्य में महिला शिक्षा हेतु बाल विवाह एक बड़ी चुनौति है।

निम्न आर्थिक स्थिति–राजस्थान कृषि प्रधान राज्य है जहाँ अधिकांश कृषि भी मानसून पर निर्भर रहती है। अतः परिवारों की निम्न आर्थिक स्थिति के कारण बालिकाओं की शिक्षा की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता। माता–पिता की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण वे सभी बच्चों को शिक्षा दे पाने में असमर्थ होते हैं जिसके परिणामस्वरूप लड़कियों को स्कूल नहीं भेजा जाता बल्कि अपने साथ मजदूरी पर ले जाया जाता है।[8] लड़की के विवाह के पश्चात् ससुराल जाने की धारणा के अन्तर्गत उसकी शिक्षा को महत्त्व नहीं दिया जाता।

रूढ़िवादी सोच–वर्तमान 21वीं सदी में राजस्थान के असंख्य लोग रूढ़िवादी सोच के शिकंजे में जकड़े हुए है। वे अब भी प्राचीन विचारों एवं परम्पराओं के पोषण तथा समर्थक हैं। उनके महिलाओं के शिक्षा सम्बन्धी विचार संकीर्ण है। वे महिलाओं के विवाह के पश्चात् अपने ससुराल में निवास करना उचित मानते हैं। उनकी शिक्षा के व्यय को अनावश्यक समझते हैं। ग्रामवासी मानते हैं कि महिलाओं को घर के कामकाज में दक्ष होना चाहिए तथा शिक्षित होकर वे चरित्रहीन एवं स्वतन्त्र हो जाती है।

सुरक्षा की भावना–भारतीय समाज में रीति–रिवाजों द्वारा महिलाओं का शोषण एवं दमन सदियों से किया जाता रहा है। राजस्थान राज्य में सामाजिक रीति–रिवाज देश के अन्य राज्यों से अधिक है। यहाँ विवाह को लड़की के लिए सुरक्षा कवच के रूप में देखा जाता है। इसके अतिरिक्त वर्तमान में महिलाओं से सम्बन्धित बलात्कार एवं अपहरण जैसी घटनाओं के परिणामस्वरूप माता–पिता के मन में डर का माहौल पैदा हो गया है। प्रदेश में रोजाना पाँच से छः बच्चियाँ यौन शोषण की शिकार हो जाती है। अतः माता–पिता अपनी बेटियों को उच्च शिक्षा के लिए दूर नहीं भेजते हैं।

सरकार द्वारा वर्ष 2007–08 से कक्षा 9 में प्रवेश लेने वाली समस्त बालिकाओं को साइकिल उपलब्ध करवाई जाती हैं जिनका निवास स्थान विद्यालय से 5 किमी से कम दूरी पर स्थित हो। (वर्ष 2013–14 से साइकिल के स्थान पर 2500/–रु. साइकिल खरीदने के लिए दिये जाते हैं) एवं 5 किमी. से अधिक दूर तक पढ़ने जाने वाली कक्षा 9–12 की छात्राओं को ट्रांसपोर्ट वाउचर के रूप में 20 रु. प्रतिदिन बस किराया शिक्षा विभाग की ओर से देय है।[9]

पर्दा प्रथा–राज्य में पर्दा प्रथा अभी भी अत्यधिक प्रचलन में बाल विवाह के परिणामस्वरूप पर्दा प्रथा भी महिला शिक्षा के दरवाजे बंद कर देती है जो महिला के लिए उच्च शिक्षा प्राप्ति के लिए एक चुनौति है। वर्तमान में पंचायती राज में 50 प्रतिशत महिलाओं के स्थान आरक्षित होने के परिणामस्वरूप महिलाएँ राजनीतिक पद प्राप्त कर रही हैं किन्तु पर्दा प्रथा के चलते महिलाएँ घूँघट में ही पंचायतों की बैठकों में भाग लेती है। पर्दा प्रथा अभी समाज में सम्मान एवं संस्कार का प्रतीक बनी हुई है। इस संस्कार की आड़ में असंख्य प्रतिभाएँ, कलाएँ और योग्यताएँ दमित होती है।

संकीर्ण मानसिकता–भारत में आज भी बेटियों को बोझ समझा जाता है। राजस्थान में यह विचारधारा अधिक बलवती हैं। यहाँ बेटी पैदा होते ही पालन पोषण से ज्यादा उसकी शादी की चिंता होने लगती है। समाज में व्याप्त इसी मानसिकता के परिणामस्वरूप लड़कियों के प्रति नजरिया, पितृसत्तात्मक सोच, सामाजिक–आर्थिक दबाव, असुरक्षा, आधुनिक तकनीक का गलत प्रयोग तथा लड़कियों को शिक्षा से वंचित रखना इसी कारण है।[10]

बालिका विद्यालय का अभाव–राज्य में अभिभावकों की साक्षरता अधिक नहीं है अतः संकीर्ण विचारधारा रखते हैं। बालिका विद्यालयों की कमी के कारण बालिकाओं को सहशिक्षा के लिए बाध्य होना पड़ता है जबकि सह शिक्षा को अभिभावक बालिकाओं के लिए उपयुक्त नहीं मानते। अधिकांश बालिकाएँ प्राथमिक शिक्षा के पश्चात् आगे पढ़ाई निरन्तर जारी रखने इच्छा के बावजूद विद्यालय नहीं जा पाती।

इस प्रकार स्पष्ट है कि वर्तमान में महिलाओं द्वारा अनेक क्षेत्रों में महत्त्वपूर्ण उपलब्धियाँ प्राप्त करने के बावजूद राजस्थान में जन्म लेने वाली अधिकांश महिलाओं के लिए यह कड़वा सच है कि यहाँ महिलाएँ शिक्षा के महत्त्वपूर्ण अधिकार का आशानुकूल लाभ प्राप्त नहीं कर पा रही हैं। परिणामस्वरूप वे आर्थिक और मानसिक रूप से सशक्त नहीं है। हालांकि सरकार द्वारा महिला शिक्षा एवं सशक्तीकरण हेतु अनेक योजनाएँ क्रियान्वित की जा रही हैं जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, गार्गी पुरस्कार योजना, बालिका प्रोत्साहन योजना मेधावी छात्रा स्कूटी योजना, मुख्यमंत्री हमारी बेटियाँ योजना, इंदिरा प्रियदर्शिनी योजना, मूक बधिर एवं नेत्रहीन बालिका हेतु आर्थिक सबलता पुरस्कार योजना, विदेश में स्नातक बालिका शिक्षा योजना तथा शारीरिक अक्षमता आर्थिक सबलता पुरस्कार योजना, चिराली योजना तथा राजश्री योजना आदि। लेकिन जनता में इन योजनाओं के प्रचार–प्रसार तथा जागरूकता का अभाव है।

अतः सरकार एवं गैर सरकारी संगठनों द्वारा महिलाओं के लिए शिक्षा एवं उच्च शिक्षा की अनिवार्यता का प्रचार–प्रसार अधिक तेज गति से अपेक्षित है साथ ही शैक्षिक जागरूकता का वातावरण प्रत्येक ग्रामीण परिवार में अत्यावश्यक है। राज्य में प्रत्येक ग्राम स्तर पर बालिका विद्यालय की स्थापना अधिक कारगर उपाय सिद्ध होगा।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. डॉ. लवानिया एम.एम., *"भारतीय महिलाओं का समाजशास्त्र"*, रिसर्च पब्लिकेशन्स, जयपुर 2012, पृ. 13
2. उपर्युक्त, पृ. 23–25
3. सांख्यिकी विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. डॉ. वर्मा, सवलिया बिहारी, डॉ. सोनी एम.एल., डॉ. गुप्ता संजीव; *"महिला जागृति और सशक्तीकरण"*, आविष्कार पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स 2005, पृ. 142.
5. डॉ. जैन पुखराज, डॉ. फड़िया कुलदीप, *"भारतीय राजव्यवस्था"*, साहित्य भवन पब्लिकेशन, पृ. 106.
6. m.thewirehindi.com
7. hi.m.wikipedia.org
8. उपर्युक्त
9. www.shiksha.rajasthan.gov.in
10. www.prasha&kashi.com.cbn.ampproject.org